

संविधान (Constitution)

सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं भारतीय संविधान में 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद हैं।

भाग-1 संघ और राज्य क्षेत्र (1-4)

अनुच्छेद 1 → भारत राज्यों का संघ (Union) है अर्थात् इसके राज्य कभी-भी टुटकर अलग नहीं हो सकते हैं।

Note → जो देश खिलाता होते हैं उसके राज्य टुट सकते हैं।

जैसे:- सोवियत संघ U.S.A

अनुच्छेद 2 → संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं।

Ex- 16 May 1975 के सिक्किम का भारत में विलय

अनुच्छेद 3 → संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान किसी भी राज्य के नाम तथा सिमा को बदल सकते हैं।

जैसे - बिहार से आरुणचल

अड़िसा से ओडिसा

अनुच्छेद 4 → अनु. 2 और 3 में किया गया संशोधन अनु. 368 के बाहर रखा गया है। अर्थात् इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं।

भारतीय राज्यों का इतिहास

अजादी के समय भारत 552 से अधिक देशी रियासत (राज्य) में टूटा हुआ था। मंग्रेजों ने इन्हें यह अधिकार दिया कि वे राज्य भारत में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में मिल सकते हैं या स्वतंत्र देश के रूप में बन सकते हैं। इन रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य सरदार पटेल तथा K.K. मेनन ने किया। उन्होंने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु तीन राज्य विलय के लिए तैयार नहीं थे।

1. **जम्मूकाश्मीर** :- यह स्वतंत्र देश बनना चाहता है यहाँ के राजा हरि सिंह थे और उनका प्रधानमंत्री शीख अब्दुल्ला था। इसी बीच पाकिस्तान के इशारा पर काश्मीर में भुसपैठ होने लगी जिसके बाद 26 Oct 1947 को काश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत का हिस्सा बन गया।

(ii) **जुनागढ़** → यह गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने अनमत संग्रह कराकर (Referendum) उसे भारत में मिला दिया।

3. हैदराबाद :- हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। किन्तु सरदार पटेल ने पुलिस कि वर्दी में सेना भेजा जिसे आपरेशन पोलो कहा गया इसी के तहत हैदराबाद को भारत में ^{मिला} लिया गया।

~~इसी~~ इन सभी देशी रियासतों को मिलकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्यों में A, B, C, D में बाँटा गया।

भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए 1949 में S.K. दार आयोग का गठन किया गया किन्तु इसने भाषाई के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया।

तेलुगू भाषा के लिए अलग राज्य के माँग करते हुए पैरु श्रीरामलू भुव हस्पताल पर बैठ गया। और 56 दिन के भुव हस्पताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई फलस्वरूप अनन्ता का विरोध बढ़ गया। फलस्वरूप नेहरू जी ने 10 Oct 1953 में तेलुगू भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया अन्ततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना।

भाषायी आधार पर राज्यों का गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषायी आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप नवाँ संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ इसके बाद A, B, C, D को रद्द करके भाषायी आधार पर 14 राज्य तथा 6 केन्द्रशासित प्रदेश बनाए गए।

नोट - पंजाब राज्य का पुर्नगठन साह आयोग के सिफारिश पर हुआ।